न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 116/2018 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S . no 2018/00127)

रामकिशन पुत्र श्री चन्दर निवासी खेडी थाना टोडाभीम जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 4.12.2017 बाबत निरस्त करने अनुज्ञापत्र संख्या 54/बीएल. एच.एनडी—76

उपस्थितिः—

1. श्री निर्मल शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

नि र्ण य

दिनांकः 27.9.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 4.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहत अदालत ने आदेश दिनांक 16.5.2012 से अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था। जिसकी अपील संख्या 73/2012 पूर्व में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई । न्यायालय हाजा (संभागीय आयुक्त भरतपुर) ने अपने गत आदेश दिनांक 9.2.2017 से प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था। तहत अदालत ने रिमाण्ड प्रकरण में नियमानुसार दौराने सुनवाई जिला पुलिस आधीक्षक करौली की रिपोर्ट दिनांक 16.5.2017 तलब की गई । रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि आवेदक के विरूद्ध मु0नं0 206/2001 धारा 147, 323 आई0पी0सी0 दिनांक 25.6.2001 पंजीबद्ध हुआ जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को धारा 323 भा0द0सं0 में राजीनामा के आधार पर बरी किया गया तथा धारा 147 भा0द0सं में जुर्म स्वीकार करने पर धारा 4(1) से लाभ तथा 150/16 3पीओ ता 2000—2000 रूपये के जुर्माने से प्रकरण का निस्तारण किया गया । आवेदक के आपराधिक रिकार्ड को देखते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई है। तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एवं विवेचना उपरान्त अपीलान्ट को शस्त्र की कोई आवश्यक्ता नहीं मानते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल नहीं किया जाकर अपने पूर्व निर्णय दिनांक 16.5.2012 को यथावत रखा गया है।इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट ने अपनी जान–माल की सुरक्षा हेतु जरिये लाईसेंस एक दुनाली बन्दूक पुराने समय से ले रखी है। उक्त लाईसेंस का नवीनीकरण अपीलान्ट समय–समय पर करवाता रहा है। सन 2010 में अपने लाईसेंस का नवीनीकरण करवाने हेतु जिला कलक्टर करौली के समक्ष अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश किया। थानाधिकारी टोडाभीम द्वारा इस परिपेक्ष्य में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 16.5.2012 के द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 9.2.2017 से यह प्रकरण तहत अदालत को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। तहत अदालत ने न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 9.2.2017 को नजर–अंदाज करते हुये पुनः अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.12.2017 पारित करते हुये अपने पूर्व आदेश को यथावत रखा गया है। जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी पैदा हो गई है। यह कि तहत अदालत द्वारा आदेश दिनांक 16.5.2012 में अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 206/2001 अंतर्गत धारा 147,323 ता0हि0 का हवाला दिया गया है मगर उक्त प्रकरण का दिनांक 18.6.2005 को राजीनामा हो चुका है इसके बाबजूद आदेश दिनांक 16.5.2012 में उक्त मुकदमें का हवाला देते हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र बहाल नहीं किया गया है। तहत अदालत ने पुलिस थाना टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 15.2.2011 के आधार पर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त करने में कानूनी भूल की है क्यों कि उक्त रिपोर्ट में जिस प्रकरण का हवाला दिया गया है उसका निस्तारण हो चुका है। अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 206/2001 धारा 147, 323 आई0पी0सी0 में होना बताया है उक्त प्रकरण में अपीयलान्ट को संबधित न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर बरी किया जा चुका है। अपीलान्ट को दोषमुक्त किये जाने के आदश दिनांक 18.6.2005 के 5 साल बाद उसी मुकदमें का हवाला दते हुये निरस्त करने में कानूनी भूल की है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.5.2012 में अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज हुये उक्त मुकदमें का हवाला देते हुये उसे आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति माना है जबकि अपीलान्ट एक बहुत ही जिम्मेदार व सामाजिक कार्यकर्ता है। अपीलान्ट के विरूद्ध रंजिश रखने वाले लोगों ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें अपीलान्ट दोषमुक्त हो चुका है। फिर भी तहत अदालत ने अपने आदेश दिनांक 4.12.2017 में उसी मुकदमें का हवाला देते हुये अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र बहाल किया जाकर नवीनीकृत किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.12.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि यह प्रकरण श्रीमान अदालत हाजा के समक्ष दूसरी बार प्रस्तुत हुआ है जिसमें अपीलान्ट के द्वारा अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की मांग की गई है। प्रकरण में संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 9.2.2017 के निर्देशानुसार प्रकरण में विधिवत सुनवाई की गई है अपीलान्ट को समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट ने सुनवाई के दौरान अवगत कराया है कि वह गांव से बाहर खेत पर निवास करता है जहां जंगली जानवारों का खतरा है परन्तु लगभग 7–8 वर्ष से शस्त्र थाने में जमा है लेकिन इस दौरान कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है, साथ ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब में उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में बरी होना बताया है। इस संबध में जब जिला पुलिस अधीक्षक करौली से पुनः रिपोर्ट तलब की गई तो रिपोर्ट दिनांक 16.5.2017 के अनुसार आवेदक /अपीलान्ट मुकदमा संख्या 206/01 धारा 147, 323 आई0पी0सी0 दिनांक 25.6.2001 पंजीबद्ध हुआ जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट धारा 323 भा0द0सं0 में राजीनामा के आधारपर बरी किया तथा धारा 147 भा0द0सं0 में जुर्म स्वीकार करने पर धारा 4(1) से लाभ तथा 150/16 3 पीओ ता 2000–2000 रूपये के जुर्माने से प्रकरण क निस्तारण किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट जो एक लाईसेंसी शस्त्रधारक भी है ने अदालत तहत के समक्ष अपने केस के वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट के आपराधिक रिकार्ड को देखते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई है। न्यायालय हाजा संभागीय आयुक्त के पूर्व निर्णय 9.2.2017 की अक्षरशः पालना की गई है रिमाण्ड प्रकरण में वे समस्त न्यायिक कार्यवाहीयां अमल में लायी गई है जो प्रकरण को गुणावगुण के आधार निस्तारण में सहयोगी है। अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का समुसचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट की ओर से तहत अदालत के समक्ष जबाब भी प्रस्तुत किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक करौली से पुनः नये सिरे से रिपोर्ट तलब की गई है। निर्देशानुसार समस्त न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति उपरान्त जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एवं पत्रावली का पूर्ण विवेचन करने के बाद यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरूद्ध दायर एवं निर्णित मुकदमों की वास्तविक स्थिति को अपीलान्ट द्वारा छुपाया गया है वह इस प्रकरण में पूर्ण रूपेण बरी नहीं किया गया वह केवल 323 में बरी किया गया है वह भी राजीनामा के आधार पर बरी किया गया है न कि गुणावगुण के आधार पर । इसके अलावा उसका हथियार को पुलिस थाना में जमा रहते हुये करीब 7 साल का एक लम्बा अर्सा व्यतीत हो चुका है इस दौरान ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। इस प्रकरण में यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलान्ट को न तो हथियार की कोई जरूरत है ना ही उनकी जान को कोई खतरा है। अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है यह तथ्य जिला पुलिस आधीक्षक करौली की इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है इसलिये जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुये तहत अदालत ने आर्म्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एक्ट की धारा 17(3)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल न किया जाकर अपने पूर्व आदेश 16.5.2012 को यथावत रखा गया है जो न्यायिक है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। यह प्रकरण अदालत हाजा के समक्ष दूसरी बार प्रस्तुत हुआ है। प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा निरस्तशुदा शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की मांग की जा रही है। अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई नवीन तथ्य अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अपीलान्ट के खिलाफ दायर मुकदमा संख्या 206/01 में उसे पूर्ण रूपेण बरी माना जा सके। पत्रावली में संलग्न जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट दिनांक 16.5.2017 यह स्पष्ट करती है कि अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा नं0 206/01 धारा 147, 323 आई पी सी दिनांक 25.6.2001 को पंजीबद्ध हुआ जिसमें चार्जशीट नम्बर 145 दिनांक 25.7.2001 को किता की जाकर चालान पेश न्यायालय किया गया । न्यायालय द्वारा शस्त्र धारक को धारा 323 भा0द0सं0 में राजीनामा के आधार पर बरी किया गया है तथा धारा 147 भा0द0सं0 में जुर्म स्वीकार करने पर धारा 4(1) से लाभ तथा 150/16 3 पीओ ता 200–2000 रूपये के जुर्माने से प्रकरण का दिनांक 18.6.2005 को निस्तारण किया गया है। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक करौली एवं थानाधिकारी टोडाभीम एवं वृत्ताधिकारी टोडाभीम ने अनुज्ञापत्र को बहाल नहीं किये जाने की सिफारिश की है। जिला पुलिसा अधीक्षक जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखे जाने हेतु एक जिम्मेदारी अधिकारी है जिनकी रिपोर्ट को नजर–अंदाज किया जाना मुनासिब नहीं रहता है। अपीलान्ट का कहना है कि उसे जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु हथियार की आवश्यकता है लेकिन करीब 6–7 साल से हथियार संबधित थाने में जमा है इस दौरान जंगली जानवरों से संबधित ऐसी कोई अप्रिय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

घटना भी घटित नहीं हुई है लिहाजा अपीलान्ट के लिये हथियार की आवश्यकता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है। अपीलान्ट का बार–बार अदालत हाजा में तथा तहत अदालत में यह कहना कि उस पर दायर आपराधिक मुकदमें का निस्तारण दिनांक 18.6.2005 को हो चुका है अर्द्ध सत्य तथ्य है चूंकि इस प्रकरण में अपीलान्ट को केवल धारा 323 में बरी किया गया है वह भी गुणावगुण के आधार पर न होकर राजीनामा के आधार पर निर्णय हुआ है और राजीनामा के आधार पर निर्णित प्रकरण को किसी भी सूरत में गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण होना नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा धारा 147 में तो अपीलान्ट ने स्वयं जुर्म स्वीकार किया है। इस प्रकार अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि से इन्कार नहीं किया जा सकता है। हमारी विनम्र राय में एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन महत्वपूर्ण होता है। इसी संदर्भ में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13 के अंतर्गत जिला अधिकारी न्यायिक अधिकारी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी है **(8कि0 लॉ ज0 347–4 एन.एन.आर. 134)** इसी कम में न्यायिक दृष्टान्त **1956 कि0 लॉ0 ज 105–ए. आई. आर.1956 पंजाब 33** में सिद्धान्त प्रतिपादित है कि प्रशासनिक अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत शासन के हित तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये आयुध के अनुज्ञप्तिकरण के मामले में स्वयं के विवेकानुसार कार्य करने में सक्षम है। इसके अलावा मानवीय दृष्टिकोण और इंसानियत से ओतप्रोत न्यायिक दृष्टान्त **ए0आई0आर0 1953 मद्रास 476– 153 कि0 लॉ0 ज 917** में यह स्पष्ट किया है कि आयुधो का स्वतन्त्र अर्जन तथा उपयोग सामान्य जनता के हित को ध्यान में रखते हुये नियन्त्रित किया जाता है। अनियन्त्रित अग्नायुधों का उपयोग लोकहित के लिये हानिकारक हो सकता है इसके अलावा इसके द्वारा हिंसात्मक क्रान्ति, नरसंहार, आगजनी तथा लोकशान्ती में हिंसात्मक उपद्रव कर सकते हैं। दूसरी तरफ आयुध अधिनियम व्यक्तियों के हाथ शान्तिमय जीवन, मनोरंजन, आनन्द तथा शिकार के अलावा दुष्ट व्यक्तियों तथा जंगली जानवारों से रक्षा तथा रक्षोपाय सुनिश्चित करते हैं। अधिनियम की प्रस्तावना में उल्लेखित लोक प्रयोजनों (public purpose) को सुनिश्चित करने हेतु विधि तन्त्र निर्देशित किया गया है। अनुज्ञापन अधिकारी को यह निश्चित करने हेतु कि किसको अनुज्ञप्ति दी जाये अथवा किसको न दी जाये, विवेक शक्ति प्राप्त है। इसी क्रम में एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त **ए0 आई0 आर0 1958 कलकत्ता 420** जो इस प्रकरण में पूर्ण रूपेण चस्पा होता है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विधि के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के हित में जो दोषमुक्त हो गये हैं लाईसेन्स देने से इन्कार करने के विरूद्ध निषेध नहीं है, क्यों कि आयुधों का अनुज्ञप्तिकरण लोकहित (public interest) में किया जाता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि अनुज्ञप्ति देने से इन्कार उन व्यक्तियों तक ही सीमित रहे जो संगीन अपराध के दोषी हो। इसके अलावा रिमाण्ड किये गये प्रकरण की सुनवाई के दौरान जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुसचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई जिनायन कारण स्पष्ट नहीं किया गया जिससे उनके लाईसेंस को बहाल किया जाना वेहद आवश्यक माना जा सके। पुलिस रिपोर्ट में भी अपीलान्ट के कथनों की ताईद न किया जाकर यह स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट की

आपराधिक पृष्ठभूमि रही है एवं उन्हें हथियार की आवश्यकता भी नहीं है। तहत अदालत के द्वारा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन एवं मनन किया गया और यह निष्कर्ष निकला कि अपीलान्ट के जीवन की सुरक्षा को ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता है। अपीलान्ट का यह कहना कि उनका चरित्र पाक–साफ है । हमारी विनम्र राय में यह स्पष्ट है कि किसी सामाजिक व्यक्ति का चरित्र पाक–साफ होना उसके लिये शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की ताईद नहीं करता है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक दोनों ही अधिकारी जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु जिम्मेदार है और यह उनका दायित्व भी बनता है बिना कोई औचित्य के बिना कोई जिनायन कारण के एक सभ्य समाज में हथियारों के लिये लाईसेंस जारी किया जाना वर्तमान समाज के बदलते स्वरूप के मध्यनजर कतई मुनासिब नहीं रहता है। लिहाजा तहत अदालत द्वारा रिमाण्ड किये गये प्रकरण में विधि–अनुकूल नये सिरे से परीक्षण किया जाकर गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है और अपील अपीलान्ट बिना किसी ठोस आधार के अभाव में खारिज योग्य ही रहती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहत अदालत का निर्णय दिनांक 4.12.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official